झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

फोन-0651-2401706, फैक्स- 0651-2401709, ई-मेल-transport.jhr@gmail.com

पत्रांक-परि०वि०(विविध)-21/15 27/319 **/राँची, दिनांक** 13/12/2021

आवंटन आदेश

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

परिवहन विभाग ।

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य स्कीम (विस्तृत) मांग संख्या-47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश योजनान्तर्गत रेल परियोजनाओं के लिए हिस्सा पूंजी (एस.पी.भी.) के लिए अंशदान में भुगतान हेतु ₹ 20,00,00,000/- (बीस करोड़) रूपये मात्र राशि का आवंटन के संबंध में ।

(विपत्र कोड-47S50756019004000648)

उपरोक्त राशि की निकासी स्कीम (विस्तृत) मांग संख्या-47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) मुख्य शीर्ष-5075-अन्य परिवहन सेवाओं के लिए पूंजी परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य- लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-उप शीर्ष-04-रेल परियोजनाओं के लिए हिस्सा पूंजी, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 48-अंशदान मद में **₹ 20,00,00,000/-** (बीस करोड़) रूपये मात्र वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. उक्त राशि की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561(वि0) दिनांक 17.04.98 के उपबंधो के अधीन दी गई है तथा राशि की निकासी उपरोक्त परिपत्र के कण्डिका-15 के अधीन की जायगी।

3. विगत वर्षो में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी अवर सचिव, परिवहन विभाग एवं नियंत्री पदाधिकारी सचिव, परिवहन विभाग होंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायगी तथा बैंक खाता के माध्यम से Jharkhand Central Railway Limited (JCRL), Darbhanga House, Ranchi को उपलब्ध किया जायेगा।

5. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-**308/स्वी०**, दिनांक-**23.11.2021** के आलोक में यह राशि आवंटित की जा रही है।

13/12/21

सरकार के सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक - परि0वि०(विविध)-21/15 27/319 **/राँची, दिनांक** 13/12/2021

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), परिवहन विभाग/Jharkhand Central Railway Limited (JCRL), Darbhanga House, Ranchi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/12/21

सरकार के सचिव

परिवहन विभाग

SPV_JCRL_2021-222